

अल्पकालीन निविदा सूचना

निगम मुख्यालय के पत्रांक:-1118रोपी/17-117एफए/01-11 ठेकों की नीति दिनांक-02.05.2017 के अनुपालन में उ0प्र0परि0निगम, मेरठ क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न स्टेशनों पर रिक्त पड़े/निकट भविष्य में रिक्त होने वाले ठेकों की नीलामी दिनांक 25.10.2017 को होगी। सभी ठेको की नीलामी अस्थायी रूप से दैनिक दर पर अधिकतम एक वर्ष तक के लिये टैन्डर प्रणाली के माध्यम से क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय में करायी जायेगी, इस हेतु टैन्डर फार्म कार्यालय दिवस एवं समय में कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं तथा नीलामी निम्नवत् होगी:-

1. टैन्डर प्राप्त किये जाने का दिनांक 16.10.2017 से दिनांक 24.10.2017 तक प्रत्येक कार्यालय दिवस एवं समय में।
2. टैन्डर भर के डाले जाना का दिनांक 25.10.2017 समय 14:00 बजे तक।
3. टैन्डर खोला जाना दिनांक 25.10.2017 समय 15:00 बजे।

निविदा हेतु प्रस्तावित ठेके

क्रमांक	बस स्टेशन का नाम	ठेके का नाम	आरक्षित मूल्य रूपये प्रतिमाह (जी0एस0टी0 18% अतिरिक्त)
1.	मेरठ (थापर नगर साईड)	मैडिकल स्टोर	4,250.00
2.	मेरठ (थापर नगर साईड)	बारबर शॉप	3,650.00
3.	सोहराबगेट	जलपान गृह	1,09,050.00
4.	गढमुक्तेश्वर	जलपान गृह	3,800.00
5.	बडौत	जलपान गृह	4,000.00
6.	बडौत	जनरल मचैन्ट	1,100.00

टैन्डरदाता को टैन्डर फार्म के साथ जमानत राशि के रूप में प्रतिमाह की दर के तीन गुना धनराशि का बैंक ड्राफ्ट एवं अर्नेस्ट मनी के रूप में रू0-10,000/- का डिमांड ड्राफ्ट **REGIONAL MANAGER UPSRTC MEERUT** के नाम एवं चरित्र प्रमाण पत्र उक्त प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। इच्छुक निविदा दाता अपना टैन्डर सीलड लिफाफे में इस कार्यालय में रखे गये सीलड बक्से में डाल सकेंगे। सीलड बक्से से प्राप्त प्रस्तावों को उसी दिन प्रस्तावकों की उपस्थिति में सायं-15:00 बजे क्षेत्रीय समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। स्वीकृत टैन्डरदाताओं को जमानत के रूप में प्रतिमाह की दर के तीन गुना धनराशि ठेका स्वीकृति की तिथि को निगम कोष ऑफर की गयी धनराशि पर जी0एस0टी0 अथवा अन्य कर तत्समय प्रचलित दर सहित विद्युत व्यय के साथ प्रत्येक माह निगम कोष में जमा करनी होगी। ऐसा न किये जाने पर पूर्व में जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा निविदा दाता का नाम काली सूची में अंकित कर दिया जायेगा। **टोकन मनी जमा कर खुली बोली बोलने का प्राविधान समाप्त कर दिया गया है** टैन्डर फार्म व ठेका नियमावली-2009, रू0-20/- के नकद भुगतान पर उपरोक्त विवरण के अनुसार क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, मेरठ से प्राप्त किये जा सकते हैं। किसी भी पान स्टॉल पर बीडी/सिगरेट एवं माचिस तथा तम्बाकू उत्पादों का विक्रय नहीं हो सकेगा तथा यह ठेके नियमावली-2009 के प्रस्तर-07स में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृत/अस्वीकृत किये जायेगे। उक्त ठेके अस्थायी आवश्यकताओं के अन्तर्गत दैनिक दर पर स्वीकृत किये जायेगें तथा स्टॉल किसी भी समय बिना किसी पूर्व नोटिस के समाप्त किया जा सकेगा। ठेकों के सम्मुख अंकित आरक्षित मूल्य दैनिक दर पर 01 माह के लिये है।

किसी भी टैन्डर/प्राप्त बोली को अस्वीकार करने का अधिकार बिना कोई कारण बतायें सक्षम अधिकारी में निहित रहेगा। निगम मुख्यालय के परिपत्र सं0-1256एफए/01 दिनांक 16.06.2009 के माध्यम से जैसा कि परिवहन निगम स्टॉल नियमावली-2009 प्राप्त हो चुकी है तथा सन्दर्भित पत्र एवं नियमावली की प्रति मुख्यालय के आदेशानुसार जैसा कि निविदा के साथ नत्थी की जा रही है, उक्त पत्र एवं नियमावली में उल्लिखित समस्त उपबन्ध एवं शर्तें सभी ठेकों पर तथा संलग्न किये जा रहे पत्र एवं नियमावली के प्रत्येक पन्नें पर हस्ताक्षर करते हुये निविदादाता द्वारा अपने टैन्डर के साथ वापस संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन), उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. प्रधान प्रबन्धक (वाणिज्य एवं विपणन), उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता (पश्चिम), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. सहायक प्रबन्धक (एमआईएस) उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को वेबसाईट पर लोडिंग हेतु।
5. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम।
6. सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम, मेरठ/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त), मेरठ।
7. स0क्षे0प्र0/स्टे0 अधीक्षक/कार्यशाला प्रभारी/नोटिस बोर्ड (इकाई), उ0प्र0परि0 निगम, मेरठ/सो0गेट/गढ/बडौत/भैसाली।
8. tender@upsrtc.com
9. नोटिस बोर्ड क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, मेरठ।

क्षेत्रीय प्रबन्धक